

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: स.27(3)(5)पदो./अभि./23/

जयपुर ,दिनांक :-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक की वर्ष 2023-24 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(Review) करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्न कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक (Pay Matrix L-8) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

क्र०स०	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
1.	श्री रामावतार गुर्जर	UR	01-04-2024
2.	श्री प्रदीप कुमार	UR	01-04-2024
3.	श्री संजय कुमार मीना	ST	01-04-2024
4.	श्री राजेश कुमार मीना	ST	01-04-2024
5.	श्री हीरालाल मीना	ST	01-04-2024

- उपरोक्त चयनित अधिकारी वर्तमान विभाग से अन्य सेवा में जाने के कारण लियन पर है। अतः उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति के नोशनल परिलाभ उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से देय होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त रिक्त विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर वर्ष 2023-24 में श्री नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी, श्री विजय सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, श्री कजोड मल मीना पुत्र श्री राम कुंवार मीना, श्री अशोक कुमार मीना पुत्र श्री रामकेश मीना, श्री दीपेश कुमार बागडी पुत्र श्री कैलाश नारायण मीना का चयन वर्ष 2023-24 में वरिष्ठ सहायक के पद से निरस्त कर इन्हे कनिष्ठ सहायक के पद पर पदनावत किया जाता है। इन राजसेवको की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन के फलस्वरूप मेरिट संख्या अनुसार रहेगी।
- कनिष्ठ सहायक के पद पर पदानवत कर्मचारी वर्तमान कार्यालय में कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठ सहायक के पद पर पद विरुद्ध अस्थाई रूप से कार्यग्रहण करेंगे। कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव,निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) ,अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन,राजस्थान को भेजकर लेख हैं कि संबंधित कर्मचारियों को अविलम्ब कार्यग्रहण करवाते हुए सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
- सम्बंधित अधिकारी.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष ।
- रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर